कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com/ Fax no - 07864-284278

क्रमांक/3086/मु.चि.अ./स्था./डी.एम.एफ./2025 सुकमा, दिनांक 14/10/2025

// विज्ञापन //

जिला सुकमा अन्तर्गत जिला चिकित्सालय सुकमा/विकासखण्ड कोण्टा/छिन्दगढ़/सुकमा में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय व्यवस्था के तहत् जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अन्तर्गत नियुक्ति मेरिट एवं लिखित परीक्षा के आधार पर संविदा भर्ती किया जाना है। जिसके लिए आप दिनांक 16-10-2025 से दिनांक 30-10-2025 तक कार्यायीन समय सायं 5.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला–सुकमा कुम्हारास के (पते पिन - 494111) पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते है। रिक्त पदों का निर्धारित अर्हताकारी योग्यता विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	आवश्यक अर्हता	मानदेय राशि प्रतिमाह	कुल रिक्तियों की वर्गवार पदों की संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से निःशक्तजनों (दिव्यांग) के लिए आरक्षित पद	योग
				अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव		
1	लैब टेक्निशियन	12th pass +D.MLT	15000	1	-	7	1	-	-	2	-	-	9
2	फार्मासिस्ट ग्रेड–02	12th +D.Pharma/B.Pharma	15000	-	1	10	1	-	-	3	-	1 (OA/OL)	12
3	रेडियोग्राफर	12th pass X-RAY Diploma	15000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
4	वाहन चालक	8th pass + heavy driving licence	12000	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5	दन्त सहायक चिकित्सक	12th pass +Dental Assitant	15000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	आर.एच.ओ. महिला/पुरूष	12th pass +MPW	14000	1	-	4	-	-	-	1	-	-	5
7	ओ. टी. टेक्नीशियन	12th pass +OT	15000	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
8	स्वीपर	8th pass	12000	-	-	4	-	-	-	1	-	-	4
9	चौकीदार (सुरक्षा कर्मी)	8th pass	12000	-	-	4	-	-	-	1	-	-	4
	कुल योगः–			3	1	37	2	-					43

1. विज्ञापन के संबंध में आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्ते तथा अन्य विस्तृत जानकारी जिला सुकमा के वेबसाईट www.sukma.gov.in में देखा जा सकता है।
2. आवेदन केवल डॉक (स्पीड पोस्ट) पर ही निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार किये जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -- सुकमा (छ0ग0)

नियम एवं शर्ते :–

1. यह नियुक्ति, न ही नियमित है और न संविदा है। यह नियुक्ति केवल स्थानीय व्यवस्था के तहत् आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए की जा रही है, इनके स्थान पर नियमित/संविदा नियुक्ति हो जाने पर यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. यह नियुक्ति उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिए की जा रही है, कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में ही सेवा वृद्धि दी जा सकती है। तथा कार्य संतोषजनक नही होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति करने हेतु शासन पक्ष स्वतंत्र होगा।
3. उक्त पदों के भर्ती में मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश की पात्रता नही होगी। उक्त अवधि में अवैतनिक अवकाश प्रदाय की जावेगी।
4. मानदेय सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के भत्ता/सी.आर.एम.सी. सुविधा देय नहीं होगा।
5. सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. लगातार एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने पर सेवायें स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशः–

1. निम्नानुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।

- शैक्षणिक योग्यता – 65%
- अनुभव – 10/15 अंक अधिकतम। (NHM का अनुभव 3 अंक व अन्य शासकीय को प्रतिवर्ष 02 नम्बर)
- लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार – 20 अंक।
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची।
- निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
- परितक्ता महिला हेतु एक पद सामान्य ANM पद में प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जावेगा।
- छ.ग. काउंसिल का जीवित पंजीयन/रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है, संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन के साथ दस्तावेज जमा नही करने के स्थिति में नये दस्तावेज हेतु दावा–आपत्ति मान्य नही किया जावेगा। तथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो (अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नही होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र सिविल सर्जन एवं मुख्य चिक्त्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी निजी संस्था से जारी अनुभव प्रमाण पत्र कदापि मान्य नही किया जावेगा।
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई डी, पास पोर्ट पेन कार्ड, ड्रायविंग लॉयसेंस)।

2. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पायें जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यार्थी को शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव एवं लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।
4. रिक्त पदों पर सरल क्रमांक 8 एवं 9 के अभ्यार्थियों को मेरिट के आधार पर भर्ती किया जावेगा, मेरिट में समान अंक होने पर अधिक उम्र के उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा। इस पद पर लिखित परीक्षा का आयोजन नही किया जावेगा। तथा सुरक्षा कर्मी पद हेतु 1 वर्ष का अनुभव शासकीय/प्राईवेट का होना अनिवार्य है।
5. मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।
6. एक या एक से अधिक पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन जमा करना होगा। एवं सामान्य श्रेणी में आवेदित पद में सामान्य कैटेगिरी अवश्य लिखे तथा जाति प्रमाण पत्र

संलग्न न करें। यदि कोई अभ्यार्थी जाति प्रमाण संलग्न करता है उस स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा। जिसका दावा–आपत्ति मान्य नही होगा।

7. आवेदित पद में जितने भी दस्तावेज संलग्न किए जायेगें उसकी एक–एक प्रति स्वः प्रमाणित दस्तावेज उसी क्रम में जमा कर अपने मूल दस्तावेज के साथ व एक फोटो अपने साथ अनिवार्य रूप से परीक्षा के दिन लेकर आवें।
8. उक्त पदो के भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष तक होगी।
9. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच की जाएगी, इसमें सही नहीं/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करने का सर्वाधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
10. लिफाफा के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। आवेदित पद का नाम नही होने के स्थिति में आपका आवेदन खोला ही नही जायेगा। एवं अपात्र किया जावेगा जिसका दावा–आपत्ति मान्य नही होगा।
11. लिफाफा के अन्दर अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत होने के उपरांत अपात्र किया जावेगा। नये दस्तावेज सलंग्न हेतु दावा–आपत्ति मान्य नही किया जावेगा। जैसे-- (मूल आवेदन पूर्णतः भरा होना चाहिए तथा, जाति प्रमाण पत्र, निवास, प्रमाण पत्र, 10 वी, 12 वी, अंकसूची, जिस पद आवेदन किया गया है, उसके अनुरूप की अंकसूची, छ.ग. काउण्सलीग का जीवित पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप मे शासकीय संस्थान के ही मान्य किए जायेगें) कोई भी नये दस्तावेज संलग्न हेतु मान्य नही किया जावेगा।
12. दावा–आपत्ति उसी का मान्य किया जावेगा जिसमें लिपिकीय त्रुटि जैसे– कोई अंक कम या ज्यादा लिखा गया हो या अनुभव के अंक गलत दे दिए गये या शर्तो के विपरीत कोइ दर्शित किया गया हो।
13. समय–सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नही किया जावेगा। जिसके लिए दावा–आपत्ति मान्य नही होगा।
14. परीक्षा तिथि का समय सीमा समय प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक होगी। परीक्षा स्थल पर 02 घण्टा पूर्व हर हाल में उपस्थित होना सूनिश्चित करें अन्यता उन्हे किसी भी स्थिति में प्रवेश नही दिया जावेगा।
15. परीक्षा हाल में मोबाईल/बैग/घड़ी/और कोई अन्य सामाग्री पेन के अलावा लेकर उपस्थित नही होगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा परीसर में सिर्फ निर्धारित समय प्रातः 08 बजे परीक्षार्थी प्रवेश दिया जावेगा।
16. परीक्षा कक्ष क्रमांक रोल नम्बर पदवार आंबंटित किया जावेगा।
17. 100 बिन्दू रोस्टर का पालन किया जावेगा।
18. उक्त पद के लिए पदवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी भर्ती से हाने वाले तक जो भी पहले हो वैध होगा।
19. प्राप्त आवेदनों पर चयन समिति दिशा--निर्देश अनुसार लिखित परीक्षा आयोजित किया जायेगा।
20. चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण मे यह पाया जाता है कि उम्मीद्वार के द्वारा किसी भी प्रकार से दबाव डलवाया जा रहा है या निषपक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा तथा इस संबंध मे कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा।
21. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा की गई हो, चाहे वो किसी भी पद पर रहें हों। उन्हें अपात्र उम्मीद्वार की संज्ञा में रखा जएगा। चयन/नियुक्ति उपरान्त भी उक्त कंडिका लागू होगी।
22. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा **(संविदा नियुक्ति) नियम 2012)** में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
23. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
24. चयन समिति के द्वारा उक्त पदो की संख्या आवश्यकतानुसार बढाई या घटाई जा सकती है।
25. अभ्यार्थियों का चयन वांछनीय आर्हता/शैक्षणिक योग्यता+अनुभव के अंक (जिस पद हेतु लागू हो) लिखित परीक्षा के अंको के योग से मेरिट आधार पर चयन किया जायेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

Chief Medical & Health Officer

Distt.-Sukma (C.G.)

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – सुकमा (छ0ग0)

स्व प्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक/आवेदिका का नाम(हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी में):– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. जन्म तिथि अंको में :– ....(शब्दों में)....................
5. दिनांक 01.1.2025 को आयु :– वर्ष..........माह ....दिन..........
6. लिग (महिला/पुरूष) :– ....
7. जाति वर्ग :– ....
8. स्थायी पता :– ....
....
....
9. पत्र व्यवहार का पता :– ....
....
....
10. मोबाईल नम्बर/ई–मेल आई.डी. :– ....
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक कार्यालय का नाम :– ....
12. वर्तमान एंव पूर्व नौकरी का विवरण यदि हो तो, अनुभव का विवरण यदि हो तो :– ....
13. क्या आवेदक विवाहित हैं? हां/नही:– ....
14. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि:– ....
15. जीवित बच्चों की संख्या एंव तिथि :– ....
16. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता (सत्यापित प्रमाणपत्र) क्रमबध जैसे 8 वी, 10 वी, 12 वी, BSC/GNM/RG एवं आवेदित पद हेतु संबंधित दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र0	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्व विद्यालय नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

(01) ....(02)..

(03).. (04)..

(05) ....(06)..

(07) ....(08)..

(09) ....(10)..

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

पूरा नाम ———————————————

//घोषणा पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त वर्णित विवरण जानकारी पूर्णतः सहीं है। यदि उपर्युक्त विवरण का कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी चयन, उम्मीदवारी निरस्त किये जाने/सेवा समाप्त किये जाने अथवा मेरे विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी। जिस हेतु मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

दिनाक..........................

स्थान ....

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

नाम...

पता ....

....

मोबा. न0...